



## उपायुक्त का कार्यालय, धनबाद

(शिक्षा विभाग)

### कार्यालय आदेश

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचना संख्या-724, दिनांक-13.04.2022 द्वारा अधिसूचित आदेश के आलोक में एवं धनबाद जिला में बढ़ती गर्मी की स्थिति के आधार पर निम्न निर्णय लिये जाते हैं :-

1. इस जिले के सभी प्रकार के विद्यालयों यथा - प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) तथा निजी विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 तक के संचालन अवधि प्रातः 6:00 से दोपहर 12:00 बजे तक होगी।
2. पूर्व प्राथमिक कक्षा यथा- प्रीनर्सरी, नर्सरी, एल0के0जी0, यू0के0जी0 आदि तक का अवधि पूर्वाह्न 11:00 बजे से अधिक नहीं होगा।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। सभी संबंधित विद्यालय प्रबंधन व पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-

उपायुक्त,  
धनबाद।

ज्ञापांक.....1120...../धनबाद, दिनांक.....14/04/.....2022

प्रतिलिपि:-संबंधित, प्रचार्य/प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक/जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/4/22  
उपायुक्त,  
धनबाद।